



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2009/फाल्गुन 21, 1930

No. 141]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2009/PHALGUNA 21, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2009

सा.का.नि. 160(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 7 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 173 (अ) का अतिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उन संबंधित कार्यों को छोड़कर जो ऐसे अतिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने हैं, एतद्वारा, एक सलाहकार बोर्ड एक वर्ष के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

- (i) माननीय श्री न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन, अध्यक्ष
- (ii) माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार, सदस्य
- (iii) माननीय सुश्री न्यायमूर्ति हिमा कोहली, सदस्य

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2009 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 674/1/2005-सी. शु. VIII]

ए. के. बरुआ, उप सचिव

पाद टिप्पणी :—अधिसूचना सं. सा.का.नि. 173(अ) दिनांक 7 मार्च, 2009 भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड, उप-खण्ड (i) में दिनांक 11 मार्च, 2008 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2009

G.S.R. 160(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G.S.R. 173(E) dated 7th March, 2008 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby Constitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of :—

- (i) Hon'ble Mr. Justice Vikramajit Sen, Chairman
- (ii) Hon'ble Mr. Justice Anil Kumar, Member
- (iii) Hon'ble Ms. Justice Hima Kohli, Member

2. This Notification shall come into force with effect from 23rd March, 2009.

[F. No. 674/1/2005-Cus.VIII]

A. K. BARUA, Dy. Secy.

Footnote :—The Notification No. G.S.R. 173(E) dated 7th March, 2008 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i) on the 11th March, 2008.